अतिआवश्यक

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(ग्रामीण विकास, अनुभाग–5)

क्रमांक एफ 27 (42) ग्राविवि–5/ PMAY-G/मोनी.–I/प्र.समीक्षा/ 2016–17 जयपुर, दि. 22 अगस्त, 2016

मुख्य कार्यकारी अधिकारी
समस्त जिला परिषद्, (ग्राविप्र.),
राजस्थान।

विषयः– आवासीय योजनाओं के अन्तर्गत स्वीकृत/प्रगतिरत आवास को पूर्ण कराने हेतु नियुक्त टैग अधिकारियों के कार्यो की नियमित समीक्षा बाबत।

संन्दर्भः– विभागीय स्थाई आदेश संख्या 28 दिनांक 02 अगस्त, 2016

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रांसगिक आदेश द्वारा वर्तमान में संचालित ग्रामीण आवास योजनाओं व प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण के क्रियान्वयन के सम्बंध में लाभार्थियों के सहयोग हेतु टैंग अधिकारी के रूप में नामित कर स्वीकृत/निर्माणाधीन आवासों को निर्धारित अवधि में पूर्ण कराने का दायित्व दिया गया है।

उक्त आदेशों की अनुपालना में प्रगतिरत आवासों को माह नवम्बर, 2016 तक पूर्ण कराने के लक्ष्यों के क्रम में नामित सभी टैंग अधिकारियों के द्वारा अर्जित की गई प्रगति की पंचायत समितिवार/क्लस्टरवार नियमित समीक्षा की जावे । उक्त सम्बंध में टैंग अधिकारी को योजना के सुचारू रूप से क्रियान्वयन हेतु उनकी भूमिका व मुख्य दायित्व निम्नानुसार है:–

I. योजना की पूर्ण जानकारी लाभार्थी को उपलब्ध कराना।
II. आवास निर्माण की सस्ती तकनीक व सम्भावित नक्शों की जानकारी उपलब्ध कराना।
III. योजनान्तर्गत अनुमत 25 वर्गमीटर से अधिक के निर्माण को यथासम्भव भविष्य के लिए स्थगित कराना।
IV. स्वीकृति से सम्बन्धित दस्तावेज, यथा – जॉब कार्ड नम्बर, आधार नम्बर, भामाशाह नम्बर, मोबाईल नम्बर, सीबीएस बैंक खाता, आदि लाभार्थी से प्राप्त करना एवं लाभार्थी के पास यदि फोटो नहीं है तो आवेदन पर लगाने हेतु मोबाइल पर फोटो लेकर बाजार से प्रिन्ट करवाना।
V. प्रस्तावित निर्माण स्थल यदि स्वयं की भूमि उपलब्ध है, का मौका निरीक्षण करना एवं GEO Tag photo लेना।
VI. यदि लाभार्थी भूमिहीन है तो भूमि आवंटन की सम्भावना के सम्बन्ध में ग्राम पंचायत स्तर पर की गई कार्यवाही का विवरण लेकर एवं GEO Tag photo लेना।
VII. यदि कब्जेशुदा सिवायचक, चारागाह भूमि है तो उक्त कब्जे की समयावधि एवं की गई कार्यवाही का विवरण एवं GEO Tag photo लेना।
VIII. प्रधानमंत्री आवास योजना – ग्रामीण में स्वीकृति हेतु आवेदित है तो ही निर्धारित 14 बिन्दुओं के सम्बन्ध में जानकारी लेकर सत्यापन कर आवेदन पत्र आवाससॉफ्ट पर पंजीकरण कराना।
IX. यदि लाभार्थी के पास आवास निर्माण हेतु आबादी/कृषि भूमि उपलब्ध है तो निम्न मूलभूत जानकारी भी ली जानी चाहिए :–
    a) निर्माण कार्य प्रारम्भ करने का प्रस्तावित समय।
    b) निर्माण कार्य हेतु सामग्री आपूर्तिकर्ता का विवरण, नाम व मोबाईल नंबर सहित।
    c) निर्माण के लिए पसंदीदा कारीगर की जानकारी एवं नाम व मोबाईल नंबर सहित।
    d) प्रस्तावित निर्माण के नक्शें एवं आवश्यकता की जानकारी।

x. यदि लाभार्थी का आवास निर्माणधीन है तो द्वितीय किश्त एवं तृतीय किश्त के लिए आवेदन पत्र की एक–एक प्रति लाभार्थी को उपलब्ध कराना।

xi. निर्माणाधीन आवास का निर्माण सतत् रूप से चले इस हेतु सभी आवश्यक प्रयास करना।

xii. सामग्री आपूर्तिकर्ता एवं निर्माण पर कार्यरत श्रमिक/कारीगरों को समय पर पूर्ण भुगतान हेतु आश्वस्त करना।

xiii. लाभार्थी को समय पर भुगतान हो सके इस बाबत सभी आवश्यक प्रयास करना। इस हेतु लाभार्थी को मोबाईल–एप "Awass app" का उपयोग कर फोटो अपलोड करने की जानकारी देना।

xiv. निर्धारित स्तर का निर्माण पूर्ण होते ही मौका स्थल से ही GEO Tag फोटो आवाससॉफ्ट के माध्यम से आवेदन प्रस्तुत करना। यदि मोबाइल एप से सम्भव नहीं हो पा रहा है तो नजदीकी ई–मित्र के माध्यम से सम्बन्धित पंचायत समिति में उपयोगिता प्रमाण–पत्र मय GEO Tag फोटो ई–मेल द्वारा प्रेषित करना।

xv. उपयोगिता प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने के 5 कार्य दिवस में यदि लाभार्थी के खाते में राशि प्राप्त नहीं हो तो उच्च अधिकारियों/राजस्थान सम्पर्क पोर्टल पर आवश्यक रूप से शिकायत दर्ज कराई जावें।

xvi. ग्राम पंचायत/ग्राम में निर्माणाधीन/पूर्ण कराये गये आवासों की जानकारी ग्राम पंचायत कार्यालय पर अपडेट कराना अर्थात् हर 15 दिवस में सम्बन्धित ग्राम पंचायत/पंचायत समिति को प्रगति से नियमित रूप से अवगत कराना।

xvii. लाभार्थियों को पंचायत/कलस्टर स्तर पर हर 15 दिवस में प्रशिक्षण आयोजित कर सहयोग/जानकारी उपलब्ध कराना।

xviii. नियमित रूप से पंचायत स्तरीय बैठक में भाग लेकर योजना के कियान्वयन में सहयोग देना।

xix. अन्य पात्र परिवारों को जो योजना की जानकारी चाह रहे है, को सामान्य जानकारी उपब्धल कराने के साथ–साथ ग्राम पंचायत पर चस्पा वरीयता सूची एवं वर्ष 2016–17 में ग्राम पंचायत को आंवटित लक्ष्य के बराबर आगामी वर्षों के लक्ष्य मानकर सम्भावित लाभान्वित वर्ष की जानकारी उपलब्ध कराना।

xx. महात्मा गांधी नरेगा योजना एवं स्वच्छ भारत मिशन से आवश्यक स्वीकृति जारी करवाकर लाभार्थी को राशि दिलाना।

टैंग अधिकारियो को उक्त जानकारी बाबत जिला स्तर के अधिकारियों के पर्यवेक्षण में एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला अनिवार्य रूप से सितम्बर के प्रथम सप्ताह में आयोजित कराया जाना सुनिश्चित करें।

(राजीव सिंह ठाकुर)
शासन सचिव, ग्रावि

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, ग्रामीण विकास एंव पंचायती राज विभाग।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पचायत राज विभाग।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग।
4. जिला कलेक्टर, समस्त राजस्थान।
5. प्रभारी अधिकारी (आवास) जिला परिषद समस्त।
6. विकास अधिकारी, पंचायत समिति समस्त।

अधीक्षण अभियन्ता, ग्रावि